**भारत सरकार**

**सूक्ष्‍म, लघु और मध्‍यम उद्यम मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 1018**

**उत्‍तर देने की तारीख: 03.12.2012**

**एसñ एमñ र्इñ क्षेत्र के लम्‍बित दावे**

**1018. डाñ जनार्दन वाघमरे:**

 क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ऋण आधारित कैपिटल सब्‍सिडी योजना के अन्तर्गत एसñएमñर्इñ क्षेत्र के आज की तिथि तक विभिन्न बैंकों के समक्ष लम्‍बित दावों का ब्यौरा क्या है और इसमें कितनी धनराशि अन्तर्ग्रस्त है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) के पास बैंकों के माध्यम से संवितरित किया जाने वाला सरकारी कोष जमा रहता है और वह अनभिप्रेत लाभ उठा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

**उत्तर**

**सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार)**

**(श्री के. एच. मुनियप्‍पा)**

 (क): नोडल एजेंसियों के पास आज की तिथि तक लंबित क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी योजना (सीएलसीएसएस) के अंतर्गत एसएमई क्षेत्र के लंबित दावों का ब्यौरा निम्नलिखित है:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| क्र.सं. | बैंक का नाम | विभिन्न बैंकों के पास लंबित दावे |
| राशि (लाख रु. में) | इकाइयों की संख्या |
| 1 | सिडबी, लखनऊ | 683.58 | 115 |
| 2 | बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई | 68.48 | 16 |
| 3 | नाबार्ड, मुंबई | 28.97 | 3 |
| 4 | भारतीय स्टेट बैंक, मुंबई | 427.79 | 68 |
| 5 | पंजाब नेशनल बैंक, नई दिल्ली | 0 | 0 |
| 6 | केनरा बैंक, बंगलौर | 27.58 | 7 |
| 7 | बैंक ऑफ बड़ौदा, मुंबई | 52.92 | 11 |
| 8 | टीआईआईसीएल, चेन्नई | 184 | 37 |
| 9 | आंध्रा बैंक, हैदराबाद | 0 | 0 |
| 10 | स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, जयपुर | 63.22 | 13 |
|  | कुल | 1536.54 | 270 |

: 2 :

(ख): सिडबी से प्राप्त सूचना के अनुसार, सीएलसीएसएस के अंतर्गत एमएसएमई मंत्रालय द्वारा संस्वीकृत निधियों का संवितरण के उद्देश्य से पूर्ण उपयोग कर लिया गया है।

(ग): प्रश्‍न नहीं उठता है।

\*\*\*\*\*